

नष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमा राशियों पर RBI के दशा-नरिदेश

प्रलिस के लयि:

[भारतीय रजिर्व बैंक \(RBI\)](#), नष्क्रिय खाता, जमाकर्ता शक्तिषण और जागरूकता (DEA) नधि, [अपने ग्राहक को जानयि/नो योर कसटमर](#)

मेन्स के लयि:

उपभोक्ता हति, बैंकगि क्षेत्र की रक्षा में RBI के उपाय

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

[भारतीय रजिर्व बैंक \(RBI\)](#) ने हाल ही में वर्गीकरण तथा सकरयिण प्रक्रयिओं को सुव्यवस्थति करने के उद्देश्य से नष्क्रिय खातों (Inoperative Account) तथा अदावी/दावा न कयि गए जमा (Unclaimed Deposits) के संबंघ में दशा-नरिदेशों को संशोधति कयि है।

- संशोधति दशा-नरिदेश सभी [वाणजियकि बैंकों तथा सभी सहकारी बैंकों](#) पर लागू होंगे तथा 1 अप्रैल 2024 से करयिान्वति कयि जाँगे।

नष्क्रिय खाते और अदावी जमा क्या हैं?

- नष्क्रिय खाता:**
 - दो वर्षों से अधिक समय तक कोई 'ग्राहक-प्रेरति लेन-देन' नहीं करने वाला खाता नष्क्रिय माना जाता है।
 - ग्राहक-प्रेरति वनिमिय, बैंक अथवा तीसरे पक्ष द्वारा खाताधारक के अनुरोध पर शुरू कयि गया अथवा पूर्व में कयि गयन्नतितीय लेन-देन, एक गैर-वतितीय लेन-देन अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अथवा डजिटिल माध्यमों जैसे इंटरनेट बैंकगि अथवा बैंक के मोबाइल बैंकगि एप्लिकेशन [अपने ग्राहक को जानयि \(Know Your Customer- KYC\)](#) के माध्यम से अपडेट हो सकता है।
 - नष्क्रिय बैंक खातों में लगभग **₹1-1.30 लाख करोड** जमा होने का अनुमान है।
- अदावी जमा:**
 - 10 वर्षों से नष्क्रिय** बचत/चालू खातों में जमा राशि अथवा परपिक्वता के 10 वर्षों के बाद दावा नहीं कयि गएसीयादी जमा (Term Deposit) को अदावी नकिषेप माना जाता है।
 - मार्च 2023 तक बैंकों में लगभग **₹42,270 करोड** अदावी थे।

संशोधति RBI दशानरिदेश क्या हैं?

- वार्षकि समीक्षा:**
 - बैंकों को उन खातों की वार्षकि समीक्षा करनी चाहयि जनिमें **एक वर्ष से अधिक समय से कोई ग्राहक-प्रेरति वनिमिय नहीं हुआ** है।
 - सावधकि जमा को नवीनीकृत करने के स्पष्ट आदेश के अभाव में बैंकों को ऐसे खातों की समीक्षा करनी चाहयि।
 - ऐसी जमा राशियों को अनकलेमड/दावा न कयि जाने (Unclaimed)** से बचाने के लयि, बैंकों को उन खातों की जाँच करनी चाहयि जहाँ उपभोक्ताओं ने परपिक्वता अवधापूरी होने पर अपनी आय की नकिासी नहीं की है या उसे अपने बचत या चालू खाते में स्थानांतरति नहीं कयि है।
- संचार प्रोटोकॉल:**
 - बैंकों को नरिदेश दयि गया है कयिे पछिले वर्ष में परचालन की कमी के बारे में **खताधारकों को पत्र**, ईमेल या SMS के माध्यम से **सूचति करें**।
 - यदि अगले वर्ष कोई परचालन नहीं होता है तो **अलर्ट संदेशों** में खाते की आसनन 'नष्क्रिय' स्थति स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहयि।
 - ऐसे मामलों में ग्राहकों को पुनः सकरयिण के लयि **नए KYC दस्तावेज जमा करने** होंगे।
- नष्क्रिय खातों के लयि वर्गीकरण मानदंड:**

- वर्गीकरण के लिये केवल ग्राहक-प्रेरति वनिमिय पर वचिर कयिा जातल है, न कल बैंक-प्रेरति वनिमिय पर ।
 - स्थायी नरिदेश यल बनल कसिी अनूय परचलन के स्वतः नवीनीकरण जैसे अधदिशों को भी ग्राहक-प्रेरति वनिमिय मलनल जातल है ।
 - बैंक-प्रेरति वनिमिय में भुगतलन शुल्क, शुल्क, बयलज भुगतलन, जुर्मलनल और कर शलमलि हैं ।
- कसिी खलते कल नषिकरयि खलते के रूप में वर्गीकरण, ग्राहक के कसिी वशिष खलते के संदरुभ में हलग न कलग्रलहक के ।
- नषिकरयि वर्गीकरण से छुटः
 - सरकलरी योजनलओ के ललभलरथयिों और छलतुरों के लयिे खले गए खलतों (शूनूय बैलेंस के सलथ) को कोर बैंकगि सलमलधलन में पृथक कयिा जलनल चलहयि ।
 - यह सुनशिचति करतल है कदिे वर्ष से अधकि समय तक खलते कल संचललन न होने के करलण 'नषिकरयि' लेबल ललगू नही कयिा जलएगल ।
- पुनरसकरयिन परकरयिः
 - नषिकरयि खलतों को पुनः सकरयि करने के लयिे KYC दस्तलवेज जमल करनल लवलशूयक है । यह परकरयि गैर-घरेलू शलखलओ सहति सभी शलखलओ पर ललगू हेली है ।
 - खलतलधलरक दवलरल अनुरोध कयिे जलने पर वीडियिे-ग्राहक पहचलन परकरयि (Video based Customer Identification Process - V-CIP) कल उपयलग पुनः सकरयिन के लयिे भी कयिा जल सकतल है ।
 - नषिकरयि खलतों को सकरयि करने के लयिे कसिी शुल्क की अनुमतल नही है ।
- दंड एवं बयलजः
 - नषिकरयि खलते के रूप में वर्गीकृत कसिी भी खलते में नूयूनतम शेष रलशन बनलए रखने परबैंक दंडलतमक शुल्क लगलने के लयिे अधकिृत नही हैं ।
 - सरकलरी योजनलओ के ललभलरथयिों और छलतुरों के लयिे खले गए खलतों (शूनूय बैलेंस के सलथ) को कोर बैंकगि सलमलधलन में अलग कयिा जलनल चलहयि ।
 - यह सुनशिचति करतल है कदिे सलल से अधकि समय तक संचललन न होने के करलण 'नषिकरयि' लेबल ललगू नही कयिा जलतल है ।
 - बचत खलतों पर बयलज नयिमति रूप से जमल कयिा जलनल चलहयि, भले ही खलतल चलू हो यल नही ।
- जमलकरततल शकिषल और जलगरूकतल कोषः
 - बैंकों में खले गए कसिी भी जमल खलते में करेडिटि शेष, जो दस सलल यल उससे अधकि समय से संचललति नही है, को बैंकों दवलरल रजिर्व बैंक ऑफ इंडियल दवलरल बनलए गए जमलकरततल शकिषल और जलगरूकतल (Depositor Education and Awareness- DEA) कोष में स्थलनलंतरति करनल लवलशूयक है ।

UPSC सवलिल सेवा परीकषल, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. यदल आर.बी.आई. प्रसलरवलदी मौदरकि नीतलकल अनुसरण करने कल नरिणय लेतल है, तो वह नमिनलखिति में से कयल नही करेगल? (2020)

1. वैधलनकि तरलतल को घटलकर उसे अनुकूलति करनल
2. सीमलंत स्थायी सुवधि दर को बढलनल
3. बैंक दर को घटलनल तथल रेपो दर को भी घटलनल

नीचे दयिे गए कूट कल प्रयलग कर सही उत्तर चुनयि-

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

[?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. कयल आप इस मत से सहमत हैं कल सिकल घरेलू उत्पाद की स्थायी संवृद्धतिथल नमिन मुदरलस्फीतल के करलण भरलतीय अरथवयवस्थल अच्छी स्थिति में है? अपने तरकों के समरथन में करलण दीजयि । (2019)